देवघर समाहरणालय
(जिला समाज कल्याण शाखा)

—: निविदा सूचना :—

देवघर जिला के समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में दिव्यांगों के लिए विशेष यंत्र/उपकरण मद में विभिन्न समग्रियों का आपूर्ति किया जाना है। इस हेतु प्रतिष्ठानों से नीचे दिये गए सूची के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदा दिनांक-22/8/2017 के 02.00 बजे तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, देवघर मे जमा ली जायेगी तथा दिनांक-22/8/2017 को 4.00 बजे निविदा निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा हेतु (दिव्यांगों के विशेष यंत्र/उपकरण मद) सामग्री का विवरण :—

S.N.	Name of Material	
1	ट्राइसाईकिल—कन्वेंशनल Head Propelled - Adult	
2	ट्राइ साईकिल - Child	
3	व्हील चेयर—फोल्डिंग — Adult	
4	व्हील चेयर—फोल्डिंग - Child	
5	दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए वाकिंग स्टीक	
6	क्रेचेज —	Adult
		Child
7	क्रेचेज — Medium	
8	श्रवण यंत्र	S-Cord
		V-Cord
9.	कृत्रिम अंग — हाथ एवं पैर	

निविदा शर्तें :—

13. निविदादाता का पंजीकृत होना आवश्यक है।
14. निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण— पत्र, अद्यतन आयकर प्रमाण—पत्र, वाणिज्यकर प्रमाण—पत्र/स्वच्छता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
15. वित्तीय वर्ष 2015—16 एवं 2016—17 का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
16. जमानत राशि के रूप में कुल 10,000.00 (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के पदनाम से जमा करना होगा। चेक या नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. निविदा खोलने के समय निविदादाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना देना अनिवार्य होगा। इसके बदले में उन्हे अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
18. निविदा दर में बिक्रीकर,परिवहन व्यय सम्मलित होगा एवं आदेशित सामग्री सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय गोदाम तक पहुँचाना होगा। इस कार्य हेतु अलग से किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।

19. निविदा दाता को उत्तम गुणवत्ता वाले सामग्री का एकल दर एवं एकल नमूना निविदा देना अनिवार्य होगा। साथ ही एक से अधिक दर देने पर उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
20. निविदा में अंकित दर सभी करों सहित होना अनिवार्य होगा।
21. सामग्रियों की गुणवत्ता परिणाम एवं दर पर विचार करते हुए क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।
22. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश के 15 दिनों के अंदर करना होगा अन्यथा आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए क्रय समिति द्वारा चयनित दूसरे आपूर्तिकर्त्ता से सामग्री क्रय की जायेगी।
23. निविदा दाता द्वारा गलत/फर्जी प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न करने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई काली सूची में दर्ज करने सहित की जायेगी।
24. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
देवघर।